भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 7/10/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 20 मार्च 2026

जांच प्रारंभ अधिसूचना
(मामला सं. एडी (एसएसआर) - 06/2026)
SETU ID - (AD/SSR/006/2026)

विषय: चीन जन.गण. से सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

1. सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने नामित प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष, समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से उद्गमित अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम हाइड्रोसल्फाइट" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा आरंभ किए जाने हेतु आवेदन दायर किया है। आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि शुल्क समाप्त हो जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।

क पृष्ठभूमि

2. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में, अधिसूचना फा. सं. 6/35/2020-डीजीटीआर, दिनांक 16 सितंबर 2020 द्वारा,

पाटनरोधी जांच आरंभ की थी। प्राधिकारी ने 14 सितंबर 2021 को अपने अंतिम जांच-परिणाम जारी किए थे, जिनमें शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। पाटनरोधी शुल्क अधिसूचना सं. 71/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 17 दिसंबर 2021 द्वारा लगाए गए थे। चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य से आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 16 दिसंबर 2026 को समाप्त हो जाएंगे।

ख **<u>विचाराधीन उत्पाद</u>**

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था, जो निम्नानुसार है -

"7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सोडियम हाइड्रोसल्फाइट" है, चाहे उसका उत्पादन जिंक का उपयोग करके किया गया हो अथवा सोडियम फॉर्मेट का उपयोग करके। इसे "हाइड्रोसल्फाइट सांद्र", "सोडियम डाइथियोनाइट", "सोडियम हाइड्रोसल्फाइट" अथवा "एसएचएस" के नाम से भी जाना जाता है। यह तीखी गंध वाला, दिखाई देने वाले बाहरी कणों से मुक्त, श्वेत अथवा धूसर-श्वेत पाउडर होता है। इसका स्फटिकीय रासायनिक सूत्र Na2S2O4 है।

8. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन "जिंक प्रक्रिया" अथवा "सोडियम फॉर्मेट प्रक्रिया" में से किसी एक से किया जाता है। पहली प्रक्रिया में जिंक धूल की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और प्राप्त जिंक लवण को कास्टिक सोडा तथा सोडा ऐश की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट में परिवर्तित किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया में मेथनॉल विलयन में सोडियम फॉर्मेट के साथ कास्टिक सोडा और सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोसल्फाइट तैयार किया जाता है।"

3. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के अंतर्गत, प्रशुल्क संहिताओं 2831 1010 तथा 2832 1020 के अधीन किया गया है। उपर्युक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान समीक्षा के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

4. आवेदक ने वर्तमान चरण पर किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच के आरंभ की तिथि से 15 दिनों के

भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं तथा यदि कोई हो तो उसका औचित्य सहित पीसीएन प्रस्तावित कर सकते हैं।

ग **<u>समान वस्तु</u>**

5. आवेदक ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद तकनीकी विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, मूल्य-निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के तुलनीय है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन जिंक मार्ग अथवा सोडियम फॉर्मेट मार्ग से किया जा सकता है। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि दोनों मार्गों से उत्पादित वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। मूल जांच में प्राधिकारी पहले ही यह अभिलिखित कर चुका है कि दोनों मार्गों से उत्पादित वस्तुएं समान हैं और परस्पर प्रतिस्थापन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। आगे, प्राधिकारी ने यह भी अभिलिखित किया था कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और आयातित विचाराधीन उत्पाद तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

घ **<u>घरेलू उद्योग</u>**

6. यह आवेदन सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसका संबद्ध देश के किसी निर्यातक अथवा भारत के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के अतिरिक्त, संबद्ध वस्तु के 4 अन्य ज्ञात उत्पादक हैं। इस आवेदन का समर्थन दो अन्य उत्पादकों, अर्थात् डेमोशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा गुलशन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ने किया है।

7. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करता है कि आवेदक भारत में कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग रखता है और इस प्रकार नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है। आगे, यह भी नोट किया जाता है कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ **जांच की अवधि**

8. आवेदक ने 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) तक की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि को वर्तमान समीक्षा के लिए जांच की अवधि के रूप में स्वीकार किया है। तदनुसार, क्षति अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

च **संबद्ध देश**

9. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

छ **पाटन की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना**

i. **सामान्य मूल्य**

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अनुसार, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन जन.गण. में प्रचलित घरेलू विक्रय मूल्य अथवा लागत के आधार पर केवल तभी किया जा सकता है जब प्रत्युत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करें कि उनकी लागत और मूल्य संबंधी सूचना बाजार-चालित सिद्धांतों पर आधारित है तथा नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 के अनुसार निष्पक्ष तुलना की अनुमति देती है; अन्यथा, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।

11. वर्तमान मामले में, आवेदक ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु यूरोपीय संघ से भारत सहित अन्य देशों को संबद्ध वस्तु के निर्यातों की कीमत को विचार में लिया जाना चाहिए। तथापि, आवेदक ने यूरोपीय संघ को उपयुक्त तीसरे देश के रूप में मानने के आधार का पर्याप्त औचित्य नहीं दिया है। तदनुसार, वर्तमान आरंभ के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में अदा की गई अथवा देय कीमत, साथ में युक्तिसंगत लाभ जोड़कर, किया गया है।

ii. **निर्यात मूल्य**

12. संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात मूल्य की गणना डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। शुद्ध निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, हथालन प्रभार, आंतरिक भाड़ा, ऋण लागत तथा भंडार वहन लागत के आधार पर समायोजन किए गए हैं।

iii. <u>पाटन मार्जिन</u>

13. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और महत्वपूर्ण है। अतः प्रथम दृष्टया यह साक्ष्य उपलब्ध है कि विचाराधीन उत्पाद का भारतीय बाजार में पाटन जारी है।

ज <u>क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना</u>

14. आवेदक ने दावा किया है कि प्रवर्तित पाटनरोधी शुल्कों के कारण उसे क्षति नहीं हुई है। वर्तमान शुल्कों के कारण संबद्ध देश से आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान घट गई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी वस्तुएं लाभप्रद कीमतों पर बेच सका है और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम रहा है।

15. तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि यदि शुल्कों को समाप्त होने दिया गया तो घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। इस संबंध में, आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि चीन के निर्यातक उचित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं, जिसका प्रमाण आयातों की नगण्य मात्रा से मिलता है; ऐसे उत्पादकों का पाटन का लगातार इतिहास रहा है; और अतीत में पाटनरोधी शुल्कों के अभाव में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई थी। आगे, आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के निर्यातक अन्य तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात पाटित तथा क्षतिकारक कीमतों पर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, चीन जन.गण. के उत्पादकों के पास विशाल उत्पादन क्षमताएं हैं और भारत ऐसे उत्पादकों के लिए मूल्य की दृष्टि से आकर्षक बाजार बना हुआ है। यदि संबद्ध वस्तुओं का रुख भारत की ओर मोड़ा जाता है, तो घरेलू उद्योग को ऐसे आयातों की कीमतों का मुकाबला करना पड़ेगा और भारी हानियां सहनी पड़ेंगी।

16. ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है जो वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को प्रदर्शित करता है।

झ निर्णायक समीक्षा का आरंभ

17. आवेदक द्वारा दायर विधिवत पुष्ट आवेदन के आधार पर, तथा पाटन और क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना का समर्थन करने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट पाकर, और अधिनियम की धारा 9क(5) को नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित करते हुए, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध वस्तु, जो संबद्ध देश से उद्गमित अथवा वहां से निर्यातित है, के संबंध में प्रवर्तित शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ करता है, ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं।

ञ प्रक्रिया

18. निर्णायक समीक्षा जांच में अधिसूचना फा. सं. 6/35/2020-डीजीटीआर, दिनांक 14 सितंबर 2020 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच-परिणामों के सभी पहलू शामिल होंगे, जिनमें संबद्ध देश से उद्गमित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।

19. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

ट सूचना का प्रस्तुतिकरण

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकारों की सभी संप्रेषणाएं और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला पहचान संख्या के अधीन सेतु पोर्टल (AD/SSR/006/2026) पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोजयोग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

21. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में ऐसे आयातकों और उपयोक्ताओं को, जो विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात हैं, पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचनाएं प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचनाएं इस आरंभ अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विनिर्दिष्ट प्रपत्र और रीति से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस आरंभ अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विनिर्दिष्ट प्रपत्र और रीति से, इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अपनी प्रस्तुति कर सकता है।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतरण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से दृष्टि बनाए रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) का नियमित अवलोकन करें ताकि वे संबद्ध जांच में आगे की प्रगति से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूप, पीयूसी/पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं तथा ऐसी अन्य सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करते रहें।

ठ <u>समय-सीमा</u>

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला पहचान संख्या (AD/SSR/006/2026) के अधीन सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों रूपांतरण, अर्थात् गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण, घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण के प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा 1995 की पाटनरोधी नियमावली के नियम

6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर, पृथक रूप से नामित स्तंभों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (जिसमें रुचि का स्वरूप भी शामिल है) की सूचना दें और उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें, जैसा कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

27. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दाखिल करने की 15 दिनों की अवधि, इस आरंभ अधिसूचना के ऊपर पैरा 25 में उल्लिखित समय-सीमा के साथ समवर्ती रूप से चलेगी।

28. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी बाद की किसी सूचना के माध्यम से पीयूसी में संशोधन करता है, अथवा ऐसा पीसीएन प्रस्तावित करता है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या आरंभ अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय-विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी सूचना की तिथि से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन स्थितियों में लागू नहीं होगा जहां जांच आरंभ होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 15 दिनों के इस समय-विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से आगे अतिरिक्त समय-विस्तार के अनुरोध सामान्यतः विचारार्थ स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, और वह भी पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप।

29. समय-विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऊपर पैरा 25 में विनिर्दिष्ट मूल समय-सीमा से कम-से-कम एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड <u>गोपनीय आधार पर सूचना का प्रस्तुतिकरण</u>

30. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय रूपांतरण भी साथ-साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर प्रत्युत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति करने वाले पक्षकारों को, जिसमें प्रश्नावली प्रत्युत्तर भी शामिल हैं तथा उनसे संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक भी शामिल हैं, गोपनीय और अगोपनीय रूपांतरण पृथक-पृथक दाखिल करने होंगे।

32. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। बिना ऐसे चिह्नांकन के प्राधिकारी को दी गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी "अगोपनीय" सूचना के रूप में मानेगा और प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति दे।

33. गोपनीय रूपांतरण में वह समस्त सूचना होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा अन्य ऐसी सूचना होगी जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए जिसे स्वभावतः गोपनीय बताया गया है, अथवा ऐसी सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदत्त सूचना के साथ एक युक्तिसंगत कारण-वक्तव्य भी देना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल सूचना का अगोपनीय रूपांतरण, गोपनीय रूपांतरण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को यथासंभव सूचकांकित किया गया हो अथवा जहां सूचकांकीकरण संभव न हो वहां रिक्त किया गया हो; और ऐसी सूचना का उपयुक्त तथा पर्याप्त सारांश, उस सूचना की प्रकृति के अनुसार, दिया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना के सार का युक्तिसंगत बोध हो सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में, यह बताते हुए कारण-वक्तव्य देना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, और वह प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप होना चाहिए।

35. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतरण के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

36. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करके गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

37. नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार, किसी भी ऐसी प्रस्तुति को, जिसके साथ उसका अर्थपूर्ण अगोपनीय रूपांतरण अथवा गोपनीयता के दावे के समर्थन में पर्याप्त एवं उपयुक्त कारण-वक्तव्य संलग्न न हो, प्राधिकारी अभिलेख पर नहीं लेगा।

ढ **<u>लोक अभिलेख का निरीक्षण</u>**

38. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई सभी अगोपनीय प्रस्तुतियां सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध होंगी।

ण **<u>असहयोग</u>**

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार अभिगम से इंकार करता है और अन्यथा युक्तिसंगत अवधि के भीतर अथवा इस आरंभ अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

अमिताभ कुमार

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी